न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 717 सन्– 2026

UPAD010065212026

अंजू देवी पत्नी श्री भोलानाथ वर्मा उम्र 45 वर्ष, निवासिनी– ग्राम फतुहाँ, थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज।

––––––––––प्रार्थिनी

बनाम

1. संजय कुमार गुप्ता थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज।
2. रितेश उपाध्याय उपनिरीक्षक थाना सरायइनायत
3. नवनीत सिंह उपनिरीक्षक थाना सरायइनायत
4. का. अनुज सिंह यादव थाना सरायइनायत
5. चालक नाम अज्ञात सरकारी वाहन सं. यू.पी. 70 ए.जी. 2445 थाना सरायइनायत
6. पवन कुमार होमगार्ड थाना सरायइनायत, प्रयागराज।

––––––––विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना–सरायइनायत, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थिनी अंजू देवी द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी पूरे परिवार के साथ मजदूरी करके जीवनयापन करती है। विपक्षी पवन कुमार, होमगार्ड जो थाना सरायइनायत में कार्यरत हैं का सम्बन्ध उसके पड़ोस में रहने वाले नन्दलाल के साले की पत्नी मीरा देवी से है, मीरा देवी उसके पड़ोसी नन्दलाल के यहां बराबर आती–जाती रहती है और उसके घरवालों को गाली व धमकी देती है। दिनांक 11/12.03.2026 की रात्रि लगभग 01.00 बजे पवन कुमार अपने साथ थाना हाजा में तैनात उपनिरीक्षकगण रितेश उपाध्याय व नवनीत सिंह, का. अनुज सिंह व सरकारी वाहन चालक आरक्षी को लेकर जबरदस्ती उसके घर पर आये और दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर सो रहे उसे, उसके पति भोलानाथ व उसके पुत्र सत्यम को खींचकर बाहर लाकर गाली–गलौज व मारपीट करने लगे। शोर होने पर मौके पर गांव के तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाने पर सार्वजनिक रूप से भद्दी–भद्दी गालियां और जाति सूचक अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि चमार मादरचोदों पूरा परिवार मिलकर चोरी इत्यादि करते हो सबकी गांड में लाठी डालकर मार डालेंगे। मौके पर मौजूद लोगों के विरोध करने पर उपरोक्त पुलिसकर्मियों द्वारा अमानवीय व्यवहार करते हुए उसके पुत्र सत्यम को सरकारी वाहन में अकारण जबरदस्ती उठाकर थाना हाजा ले गयी तथा अगले दिन दिनांक 12.03.2026 को समय 12.00 बजे के करीब सुपुर्दगी पर उसके पुत्र को पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया गया। थाना हाजा में मौजूद थानाध्यक्ष व कार्यालय में तैनात मुंशी इत्यादि के द्वारा थाना हाजा में उसके पुत्र को लाठी–डंडों से मारते हुए जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी व गाली–गलौज करके अमानवीय यातनाएं दिया गया तथा उसे, उसके पति व पुत्र को भी मारा–पीटा गया जिससे उनको शारीरिक चोटें आयीं हैं जिसका मेडिकल मुआयना श्रीमान अपर जिलाधिकारी, प्रयागराज के आदेश दिनांकित 12.03.2026 पर दिनांक 13.03.2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनी (कोटवा), प्रयागराज में हुआ। थाना हाजा के पुलिसकर्मियों द्वारा बगैर किसी प्राथमिकी को दर्ज किये और बिना किसी दोष के उसके घर अर्द्धरात्रि में दबिश देकर मा. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों व उ.प्र. शासन के विधि के विरुद्ध निर्देशों का पालन न करके सम्पूर्ण घटना कारित किया गया। दिनांक 12.03.2026 को 11.00 बजे दिन में उसके पुत्र सत्यम को सुपुर्दगी में सौंपने के बाद एक काल्पनिक घटना को आधार बनाते हुए उसके पुत्रों तथा भतीजों को अभियुक्त बनाते हुए दिनांक 12.03.2026 को समय लगभग 05.00 बजे सायंकाल अ.सं.–57/2026 पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस अभियोग में नामजद अभियुक्त गुड्डू उर्फ संदीप कुमार की आज से लगभग 6–7 माह पहले मृत्यु हो चुकी है इससे स्पष्ट है कि उसके पुत्रों एवं भतीजों को थाना सरायइनायत पुलिस द्वारा फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया जा रहा है। प्रार्थिनी ने उक्त

घटना के सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज से व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से *कैप्टन मंगल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व 6 अन्य क्रि. मि. रिट पिटीशन संख्या 7785/2026 दिनांकित 21.04.2026* को उद्धृत किया गया है।

3. प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जनसुनवाई पोर्टल पर की गयी शिकायत का विवरण, मेडिकल प्रपत्र, थानाध्यक्ष सरायइनायत व श्रीमान् मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 12.03.2026 की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 13.03.2026 की छायाप्रति मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण द्वारा दिनांक 11/12.03.2026 की रात्रि लगभग 01.00 बजे जबरदस्ती उसके घर में घुसकर दरवाजे को तोड़कर उसके घर के अंदर सो रहे उसे, उसके पति व उसके पुत्र सत्यम को खींचकर बाहर लाकर सार्वजनिक रूप से गाली–गलौज व मारपीट किये जाने, चमार जैसे जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किये जाने, झूठे आरोप लगाने, उसके पुत्र सत्यम को अकारण जबरदस्ती उठाकर थाने ले जाकर लाठी–डंडों से मारते हुए जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी व गाली–गलौज करके अमानवीय यातनाएं दिये जाने तथा उसे, उसके पति व पुत्र के साथ मार–पीट किये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है।

7. प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थिनी की पड़ोसी मीरा देवी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा में विपक्षी सत्यम व अन्य के विरुद्ध मु.अ.सं.–57/2026, अन्तर्गत धारा 79, 189(2) बी.एन.एस. व 67 आई.टी. एक्ट दिनांक 12.03.2026 को पंजीकृत होना बताया गया है। सम्बन्धित थाने द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रार्थिनी अंजू देवी द्वारा पेशबन्दी के कारण पुलिस के ऊपर दबाव बनाने व क्रॉस मुकदमा लिखाने के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में थाने की आख्यानुसार प्रार्थिनी की पड़ोसी मीरा देवी द्वारा प्रार्थिनी के पुत्र सत्यम व अन्य के विरुद्ध दिनांक 12.03.2026 को मु.अ.सं.–57/2026, अन्तर्गत धारा 79, 189(2) बी.एन.एस. व 67 आई.टी. एक्ट पंजीकृत कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी व उसके परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के कारण झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष रंजिशन विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से संस्थित निर्णय विधि का वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला प्रतीत नहीं होने के कारण उन्हें इस स्तर पर कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र इस स्तर पर संधारणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 07, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.07 16:25:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court